किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण
प्रकरण सं. – 58/2018

हुए

25.07.2018

अधिवक्ता फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 लगा. 4 व 6 लगा.9 एवं 11 लगा.13 की ओर से प्रदीप कुमार विजय एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधिवक्ता फरीकेन द्वारा बहस किये जाने का अनुरोध करने पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी वादी ने अप्रार्थी सं0 2 लगायत 13 व अन्य के विरूद्ध वाद उद्घोषणा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का उनवानी गंगासहाय बनाम लक्ष्मीनारायण वगैरा मु0नं0 95/2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के समक्ष पेश कर रखा है। जिसमें वादी ने एक आपत्ति बाबत कुरेजात प्रस्तुत कर रखी है। क्यों कि कुरेजात नियमानुसार तथा प्रार्थी की उपस्थिति में नहीं बनाये गये तथा अप्रार्थीगण को अनुचित लाभान्वित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पेश भी कर दिये गये। प्रार्थी के अधिवक्ता ने आपत्ति कुरेजात की बहस करने का निवेदन किया गया। किन्तु पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से आपत्ति की बहस सुने बिना ही तथा बिना प्रक्रिया पूर्ण किये ही फैसला करने पर आमादा है तथा नजदीक की तारीख पेशी दी गई है। इसलिये प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार कर प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने के आदेश फरमावें।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 लगा. 4 व 6 लगा.9 एवं 11 लगा.13 द्वारा निवेदन किया गया कि यद्यपि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई पर लगाये गये आरोप निराधार, झूठे एवं मनगढंत हैं। किन्तु फिर भी यदि अप्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से न्याय की उम्मीद नहीं है तो प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 लगा. 4 व 6 लगा.9 एवं 11 लगा.13 द्वारा प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन वाद उद्घोषणा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का उनवानी गंगासहाय बनाम लक्ष्मीनारायण वगैरा मु0नं0 95/2016 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में अविलम्ब भिजवावें। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई एवं दौसा को पालना हेतु निर्णय की प्रति सहित तहरीर भिजवाई जावे। उभयपक्षकारान दिनांक 17.8.2018 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में उपस्थित हो। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 25.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर